

राज्यपाल के अवर सचिव  
Under Secretary to Governor



राज भवन, रायपुर  
RAJBHAVAN, RAIPUR  
दूरभाष Telephone -  
कार्यालय Office : 2331101  
निवास Res. :  
फैक्स Fax : 2331104

क्रमांक / 3822 / 7874 / 2014 / रास / यू-5  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 14 / 08 / 2015

कुलपति,  
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,  
नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई,  
जिला-दुर्ग (छ.ग.) - 490 009.

विषय :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र.-28 में संशोधन बाबत।

सन्दर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्र./छगस्वावितविवि/प्रशा./2015/2039, दिनांक 06.08.2015.

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 39 (2) में निहित प्रावधानानुसार, विश्वविद्यालय में कार्य-परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 30.07.2015 द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक-28 (Students Unions for Engineering Colleges, Pharmacy Colleges, Polytechnics and University Teaching Department of the University) के Clause No. 20 (viii) (b) Note 2 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा यथानुरूप अनुमोदन किया गया, जो दिनांक 14.08.2015 से प्रवृत्त होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति  
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी  
विश्वविद्यालय, भिलाई के आदेशानुसार

  
(आर.के. स्वस्तिक)

राज्यपाल के अवर सचिव  
छत्तीसगढ़

पृष्ठा क्रमांक / / 7478 / 2014 / रास / यू-5  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक / 08 / 2015

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490 009 को सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

राज्यपाल के अवर सचिव  
छत्तीसगढ़

299

178



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BILALAI

AMMENDMENT PROPOSED IN ORDINANCE NO. 28 - STUDENTS' UNIONS FOR ENGINEERING COLLEGES,  
PHARMACY COLLEGES, POLYTECHNICS AND UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENTS  
AS PER THE DECISION TAKEN IN THE 43<sup>RD</sup> EXECUTIVE COUNCIL MEETING HELD ON 30.07.2015

Sn.	Ordinance no. & Description	Clause no	Existing Clause	Proposed Clause	Justification
1.	Ordinance no. 28 - Students' Unions for Engineering Colleges, Pharmacy Polytechnics and University Teaching Departments.	20(viii) (b) Note (2)	The case in which the result, of May June 2014 examination, of the semester preceding to current semester has not been declared, academic backlog shall be considered upto the semester for which student has appeared as regular student in Dec. 2013- Jan. 2014 examination. However, this shall be applicable only for 2014-15 academic session only.	The case in which the result, of May June examination, of the semester preceding to current semester has not been declared, academic backlog shall be considered upto the semester for which student has appeared as regular student in Dec-Jan. examination of the preceding academic session.	As the existing clause was "year specific", hence the clause has been modified, deleting the mention of the year.

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति

श्री अरुणोदित

राज्यपाल के अवर सचिव

राजभवन, रायपुर

(Dr. Sahu) 05/8  
Kejriwal